कार्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची

(जिला स्वास्थ्य समिति, राँची)

ज्ञापांक 72/(DHS)/ राँची, दिनांक 27.07.20/

अति–अल्पकालीन पुर्ननिविदा सम्बन्धी सूचना

जिला में कोविड–19 के उपचार हेतु Covid Care Centres, Covid Care Hospitals, Dedicated Covid Care Hospitals के लिए **चिकित्सा पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं मरीजों के भोजनादि आपूर्ति हेतु** प्राधिकृत निबंधित, प्रतिष्ठित संस्था/आपूर्तिकर्ता से तकनीकी बीड एवं वित्तीय बीड का अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांकः 30.07.2020 के 03 बजे अपराहन तक सिविल सर्जन कार्यालय, राँची में प्राप्त की जायगी तथा उसी दिन 04 बजे अपराहन राँची समाहरणालय राँची ब्लॉक 'ए' कमरा सं0–207 में जिला क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा खोली जायगी। जिसमें सर्वप्रथम तकनीकी बीड को खोला जायेगा, तकनीकी बीड में योग्य पाये गये निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड खोला जायगा। निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

निविदा की शर्ते :–

(क) तकनीकी बीड :–

(1) निविदा के साथ वाणिज्य कर, निबंधन, पैन सं०, अध्यतन आयकर रिटर्न, गत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं स्वच्छता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(2) वैसे प्रतिष्ठान के निविदादाता जिनका नाम किसी अन्य जिला/विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज कर दिया गया है, अगर वही व्यक्ति किन्हीं अन्य व्यक्ति के नाम से नया प्रतिष्ठान बना कर निविदा देंगे, तो उन्हें तुरन्त गिरफ्तार कर सक्षम धारा के अन्तर्गत कार्रवाई की जायगी। काली सूची में नहीं होने संबंधित एफेडेविट जमा किया जाना आवश्यक है।

(3) निविदादाता अथवा प्रतिष्ठान को सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में इस प्रकार के कार्य का कार्यानुभव होना अनिवार्य है। इससे संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

(ख) वित्तीय बीड :–

(1) निविदा के साथ अग्रधन के रूप में मो0 1,00,000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट, District Rural Health Society, Ranchi के पदनाम से राँची में भुगतेय संलग्न करना होगा। जिसका निविदा पत्र स्वीकृत नहीं होगा उन्हें बैंकड्राफ्ट वापस हो जायेगा।

(2) निविदा पत्र का क्रय मूल्य मो0 5,000.00 (पांच हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो District Rural Health Society, Ranchi के पदनाम से भुगतेय होगा, को संलग्न करना होगा। (Non Refundable)

(3) निविदाकर्त्ता प्रति ईकाई/नग के लिए संलग्न सूची के आधार पर समस्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय दर प्रति ईकाई के अनुसार दर निविदा में समर्पित करेंगे।

(4) निविदादाता का ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 निबंधित होना चाहिए।

(5) ISO Certified फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी।

(6) फर्म का Trade License, GST, Food License (FSSAI), का निबंधन होना चाहिए।

(7) निविदादाता को सरकारी फर्म में कार्यानुभव होना चाहिए। कम से कम 200 व्यक्तियों को लगातार किचन अधिष्ठापन उपरांत दो वर्षो का भोजनादि आपूर्ति का अनुभव होना चाहिए।

(8) खाने की गुणवता एवं मात्रा मे किसी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता के विरूघ प्राथमिकी दर्ज करते हुए फर्म का काली सूची में शामिल कर दिया जायेगा।

(ग) अन्य शर्ते :

(1) एक अथवा एक से अधिक निविदादाता के बीच L1 दर पर कार्यादेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।

(2) कार्यादेश निर्गत की तिथि से 03 (तीनों) दिनों के अन्दर कोविड–19 के उपचार हेतु Covid Care Centres, Covid Care Hospitals, Dedicated Covid Care Hospitals के लिए राँची जिला में दिये गये स्थान पर करना होगा।

(3) सभी अथवा किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

नोट :– उपरोक्त से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं सूची जिला स्वास्थ्य समिति रांची के कार्यालय अथवा राँची जिला के बेवसाइट www.ranchi.nic.in पर देखा जा सकता है।

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,राँची।

DPMU Ranchi 20-21

Scanned with CamScanner

Tender No. 711 (DHS) Dt. 27.07.20

Food and water - freshly cooked food (morning tea, breakfast, lunch, evening tea, dinner) and water for patients as per medical prescription

Sl No	PARTICULARS	QTY	Unit Rate Per Pcs
1a	पूरी / कचौड़ी	06	Breakfast
1b	आलू सब्जी / काबुली चना / तड़का	100 ग्राम	Rs ....
2a	चावल अरवा	200 ग्राम	Lunch
2b	रोटी–02	50 ग्राम	
2c	राहर दाल / मिक्स दाल	30 ग्राम	
2d	सब्जी	100 ग्राम	Rs. ....
2e	आलू भुजिया अथवा सिजलन सब्जी का भुजिया	75 ग्राम	
2f	आचार एवं सलाद	10 ग्राम	
2g	सप्ताह में दो दिन Non Veg	100 ग्राम	
3a	रोटी	05	Dinner
3b	सब्जी सिजनल	100 ग्राम	Rs. ....
3c	आलू भुजिया अथवा सिजनल सब्जी का भुजिया	75 ग्राम	
04	मिनरल वाटर बोतल	01 लीटर	Rs. ....

Specific

Sl No	PARTICULARS	QTY	Unit Rate Per Pcs
1a			Breakfast
1b			Rs ....
2a			Lunch
2b			
2c			
2d			Rs. ....
2e			
2f			
2g			
3a			Dinner
3b			Rs. ....
3c			
04	मिनरल वाटर बोतल	01 लीटर	Rs. ....

Remarks

1. The agency shall be responsible for compliance of protective gear, disinfectantion, etc. to guidelines issued by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, and applicable directions of the Government of Jharkhand.
2. Training on usage of protective gear for all staff shall be ensured by the agency
3. Training on disinfection of all surfaces shall be ensured by the agency
4. The agency must communicate Dos and Don'ts, in compliance with applicable guidelines, to patients and statt.
5. Discharge kits shall be provided by the agency to patients upon completion of isolation.
6. All staff working in the premises of the COVID care centre shall be covered by the Pradhan Mantri Garib Kalyan Package Insurance Scheme.

Sample

27/7/20

Scanned with CamScanner